

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1403 / 2024

दिनांक : 12.04.2024


सुश्री सोनिया बेनिवाल (RJ00421), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, बारा को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:--

1. दिनांक 16.01.2024 से 17.01.2024 तक 02 दिनों का **उपार्जित** अवकाश दिनांक 13.01.2024 से 14.01.2024 के राजपत्रित अवकाशों एवं 15.01.2024 के स्थानीय अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 18.01.2024 से 25.01.2024 तक 08 दिनों का **परावर्तित** अवकाश।

सुश्री बेनिवाल की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-01, बारा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, बारा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/53/2002/2020

दिनांक : 12.04.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, बारा को उनके पत्रांक 25/09 दिनांक 15.03.2024/29.01.2024 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री सोनिया बेनिवाल (RJ00421), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, बारा।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-01, बारा।



सहायक रजिस्ट्रार